UPJL010004922017

Presented on : 21-03-2017
Registered on : 21-03-2017
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
ADJ I
AT ,Jalaun
(Presided Over by Sri Shiv Kumar II)

Session Trial/1000038/2017

न्यायालयः अपर जिला एव ंसत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, जालौन स्थान उरई।

सत्र परीक्षण संख्या–38/2017

राज्य

बनाम्

राजेश पण्डित आदि।

दिनांक–14.11.2024

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्त राजेश पण्डित अनुपस्थित, अभियुक्तगण शशिकान्त व बृजेन्द्र दोहरे की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत। अभियुक्त सतीश उपस्थित।

उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण सत्र वाद 38/2017 **राज्य प्रति राजेश पण्डित आदि** में अभियुक्त राजेश पण्डित पुत्र चन्द्रभूषण निवासी कस्बा व थाना रामपुरा, जिला जालौन के विरूद्ध विचारण धारा 411,413,403,379 भा0दं0सं0 में प्रचलित रहा। अभियुक्त की उपस्थिति के बावत निर्गत समन संबंधित थाने से इस आख्या के साथ वापस प्राप्त हुआ कि अभियुक्त की मृत्यु दिनांक 02.01.2024 को हो चुकी है। आख्या के समर्थन में नगर पंचायत रामपुरा द्वारा जारी मृत अभियुक्त के मृत्यु के संबंधित में प्रमाणित की है, जो तत्कालीन उपनिरीक्षक रूपेन्द्र पाल सिंह थाना सिरसाकलार, जिला जालौन द्वारा अग्रसारित है। समक्ष न्यायालय सी0डब्लू0–1 उपनिरीक्षक रूपेन्द्र पाल सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान कर अभियुक्त राजेश पण्डित की मृत्यु की पुष्टि की तथा पत्रावली में संलग्न कागज सं0–67क/1 नगर पंचायत रामपुरा की लिखित तहरीर मय हस्ताक्षर को अपने हस्तलेख में प्रमाणित किया है।

चूंकि प्रकरण में अभियुक्त **राजेश पण्डित** की मृत्यु हो चुकी है, अतः हस्तगत दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्त राजेश पण्डित के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का कोई

औचित्य शेष नहीं रह जाता है, वरन उपशमन के आधार पर अभियुक्त राजेश पण्डित के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 38/2017 **राज्य प्रति राजेश पण्डित आदि** अंतर्गत धारा 411,413,403,379 भा0दं0सं0 थाना सिरसाकलार जिला जालौन में अभियुक्त **राजेश पण्डित** की मृत्यु होने के फलस्वरूप प्रकरण की कार्यवाही उसके विरूद्ध उपशमन के आधार पर समाप्त की जाती है। पत्रावली दिनांक 11.12.2024 को पेश हो।

दिनांक–14.11.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0 1, जालौन स्थान उरई।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2024.11.18 12:51:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court